भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस का कार्यान्वयन

1260. श्री अजय कुमार मंडल:
श्रीमती रमा देवी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्रीमती गीता कोडा:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बच्चों के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना से हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार और जिला-वार बच्चे किस हद तक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र विशेषकर अमरावती जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) : 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों की स्कीम सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में ठिगनापन और रक्ताल्पता के अलावा दुबलेपन और कम वजन के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और देश के सभी जिलों को शामिल करते हुए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

मिशन पोषण 2.0 के राज्य-वार लाभार्थियों की सूची **अनुलग्नक I** में दी गई है।

सोनीपत जिले सहित हरियाणा राज्य में मिशन पोषण 2.0 के जिलेवार लाभार्थियों की सूची **अनुलग्नक II** में दी गई है।

(ख) मिशन पोषण 2.0 के कार्यान्वयन में कोई भी गैर-सरकारी संगठन शामिल नहीं है।

(ग) 15वें वित्त आयोग में बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सहित सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तीन कार्यक्षेत्रों में मिला दिया गया है। (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए; और (3) मिशन वात्सल्य, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए। योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों की स्कीम सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में ठिगनापन और रक्ताल्पता के अलावा दुबलेपन और कम वजन के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ii) मिशन शक्ति: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्रमशः दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा योजनाओं को संबल उप-योजना का हिस्सा बनाया गया है; जबकि मौजूदा योजनाओं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वधार गृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास का नाम दिया गया है), राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र (एनएचईडब्ल्यू) और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (जिसका नाम बदलकर पालना किया गया है) को 'सामर्थ्य' में मिला दिया गया है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने जरूरतमंद बच्चों और देखभाल के लिए मिशन मोड में बेहतर पहुंच और संरक्षण के लिए एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को इस उद्देश्य से मिला दिया है कि: (i) विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सहायता और पोषण। (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना। (iii) नवाचारी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए स्कोप प्रदान करना। (iv) गैप फंडिंग द्वारा सीमेंट कन्वर्जेंट कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो।

अनुलग्नक- I

"आईसीडीएस के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 09.02.2024 को लोकसभा में श्री अजय कुमार मंडल, श्रीमती रामा देवी, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्री रमेश चंदर कौशिक और श्रीमती गीता कोरा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1260 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक।

मिशन पोषण 2.0 के राज्यवार लाभार्थी इस प्रकार हैं*

राज्य	बच्चे 0-6माह	बच्चे 6माह-3वर्ष	बच्चे 3-6वर्ष
आंध्र प्रदेश	61801	993688	1156343
अरुणाचल प्रदेश	3050	32891	43063
असम	130303	1205776	1623293
बिहार	225714	3544645	5480185
छत्तीसगढ	126689	1045951	1174095
गोवा	4345	34705	18835
गुजरात	215293	1489211	1606864
हरियाणा	71145	706638	961162
हिमाचल प्रदेश	35190	220825	236365
झारखंड	120444	1375427	1482868
कर्नाटक	145072	1699147	1695944
केरल	96756	810933	1109646
मध्य प्रदेश	352280	2820012	3592016
महाराष्ट्र	250867	2709924	3344217
मणिपुर	9206	96323	160546
मेघालय	9568	156383	230501
मिजोरम	3813	45100	60896
नगालैंड	2847	39934	66501
ओडिशा	208827	1518633	1860166
पंजाब	95778	632294	596177
राजस्थान	162136	1970484	1800517
सिक्किम	1690	12440	17038
तमिलनाडु	238351	1732152	1561148
तेलंगाना	105422	980242	836558
त्रिपुरा	12810	127751	169067
उत्तर प्रदेश	1059961	9553162	8769806
उत्तराखंड	40832	387088	238785
पश्चिम बंगाल	450611	3246215	4037353
अंडमान व निकोबार	544	6739	3903
दादरा व नगर हवेली - दमन और दीव	3221	14314	9427
दिल्ली	66673	343642	178532
जम्मू एवं कश्मीर	27581	323508	375467
लद्दाख	650	7346	8877
लक्षद्वीप	379	2873	977
पुदुचेरी	3138	23741	3360
संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	3403	16382	20786
कुल	4346390	39926519	44531284

* पोषण ट्रैकर से आकड़ा लिया गया है (06 फरवरी 2024)

अनुलग्नक - II

"आईसीडीएस के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 09.02.2024 को लोकसभा में श्री अजय कुमार मंडल, श्रीमती रामा देवी, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्री रमेश चंदर कौशिक और श्रीमती गीता कोरा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1260 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक।

मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण का लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों का जिलावार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	जिला	कम से कम 21 दिनों के लिए टीएचआर प्राप्त करने वाले बच्चे(6माह-3वर्ष)	कम से कम 21 दिनों के लिए एचसीएम प्राप्त करने वाले बच्चे(6माह-3वर्ष)	कम से कम 21 दिनों के लिए टीएचआर प्राप्त करने वाले बच्चे(3-6वर्ष)	कम से कम 21 दिनों के लिए एचसीएम प्राप्त करने वाले बच्चे(3-6वर्ष)
हरियाणा	अंबाला	4321	431	2095	111
हरियाणा	भिवानी	15016	512	7517	283
हरियाणा	चरखी दादरी	8499	52	4105	26
हरियाणा	फरीदाबाद	19215	2046	8607	4557
हरियाणा	फ़तेहाबाद	13669	153	7301	41
हरियाणा	गुरुग्राम	11415	165	7029	122
हरियाणा	हिसार	7044	5996	2782	2964
हरियाणा	जींद	13018	260	6753	119
हरियाणा	झज्जर	13119	298	7626	152
हरियाणा	कुरूक्षेत्र	6564	0	2912	0
हरियाणा	कैथल	3023	593	1565	281
हरियाणा	करनाल	7198	441	2573	226
हरियाणा	महेंद्रगढ़	2455	3390	802	1447
हरियाणा	नूह	1283	0	1874	0
हरियाणा	पलवल	12734	349	12119	349
हरियाणा	पंचकुला	6335	6	3610	11
हरियाणा	पानीपत	5512	459	3792	188
हरियाणा	रेवाड़ी	2998	1164	694	546
हरियाणा	रोहतक	7003	418	2812	132
हरियाणा	सिरसा	9146	259	4689	465
हरियाणा	सोनीपत	1929	1346	1300	620
हरियाणा	यमुनानगर	17403	308	7441	201

* पोषण ट्रैकर से आकड़ा लिया गया है (06 फरवरी 2024)